ARMS LICENSE /RENEWAL PROCESS

आवेदक का शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र/सीमा विस्तार/नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक से सम्बन्धित थाना प्रभारी को निम्न जांच प्रारूप में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजा जाता है

(आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति स्वीकृति करने के सम्बन्ध में)

पुलिस उपाधीक्षक/ थाना प्रभारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं उनकी अनुशंसा का प्रपत्र)

1. आवेदक का नाम.....
2. आवेंदक के पिता का नाम.....
3. उम्र.....
4. स्थायी पता (स्थायी निवास/ मूल निवास की छांया प्रति संलग्न करे/ राशन कार्ड करें.....
5. वर्तमान पता.....
6. आवेदक का व्यवसाय (राजकीय कर्मचारी होने का विभागीय प्रमाण पत्र अनापत्ति सहित)...
7. आवेदक विगत एक वर्ष में किस जनपद एवं स्थान पर कहां-कहां रहा.....
8. आवेदक का स्वभाव.....
9. आवेदक का नक्सलपंथियों/ उग्रवादी संगठन से सम्पर्क है या नही....
10. आवेदक किसी अन्य अपराध में अभियुक्त है या नही.....

11. (अ)दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/111/113/133/145 व 151 के अन्तर्गत आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है या नही

(ब) क्या आवेदक के विरुद्ध कोई मामला मा0न्या0 में गतिमान है या आवेदक किसी मामले में सजायाफता रहा है या आवेदक के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत है या आवेदक कभी हिस्ट्रीशीटर रहा है (स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट संलग्न करे)

12. आवेदक को क्या विशेष सुरक्षा का भय है जिसके कारण इन्हे शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। (एन0पी0बी0 रिवाल्वर/पिस्टल के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 845ग्ग्(2)/277/विविध/209 दिनांक 26-05-2010 व भारत सरकार के पत्र सं0 110115/15/2009. आर्म्स दिनांक 31-03-2010 के क्रम में

(क)क्या उग्रवादियों की हिट लिस्ट में है.....

(ख)क्या फन्डामेण्टल की हिट लिस्ट में है.....

(ग)क्या कुख्यात अपराधी की हिट लिस्ट में है.....

(घ)क्या इसके साथ कभी कोई अपराधिक घटना हुई है.....

(च)क्या इनको किसी से जान से मारने की धमकी मिली है.....

(छ)क्या इनको किसी से गम्भीर खतरा है.....

13. आवेदक की सभी श्रोतो से वार्षिक आय (एन0पी0बी0 रिवालवर/पिस्टल के हेतु अद्यतन आयकर रिटर्न के साथ)...

14. आवेदक की शारीरिक स्थिति (चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करें) आंखो में कलर ब्लाइण्ड का उल्लेख करे...

15. आवेदक को अनुज्ञप्ति देने से लोक शान्ति एवं सुरक्षा पर सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव (यदि कोई हो)....

16. पारिवारिक या व्यक्तिगत तनाव की पृष्टिभूमि में आवेदक किसी हिंसात्मक घटना से सम्बन्धित तो नही है.....

17. शस्त्र जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है.....

18. क्या आवेदक के नाम से पूर्व से किसी शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत है यदि हां तो पुनः दूसरे शस्त्र की अनुज्ञप्ति का क्या औचित्य है स्पष्ट कारण दे....

19. क्या आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य के पास कोई शस्त्र लाईसेन्स स्वीकृत है यदि हां तो पूर्ण विवरण...

20. क्या आवेदक का आपसी पारिवारिक विवाद तो नही है पारिवारिक सदस्य/भाईयों की ओर से अनापत्ति...

21. क्या आवेदक द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है (पटवारी से प्रमाण पत्र).....

22. क्या आवेदक बकायादार तो नही है (सम्बन्धित अमीन से प्रमाण पत्र).....

23. क्या आवेदक का पूर्व स्वीकृत शस्त्र लाईसेन्स निरस्त किया गया है.....

24. गांव/मोहल्ले में कितने शस्त्र धारक है.....

25. क्या आवेदक वन्य विहार क्षेत्र के 10 किमी परिधि के अन्तर्गत निवास करता है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वन विभाग से प्रमाण पत्र/पटवारी/सम्बन्धित थाने के जांचकर्ता की अनुशंसा .....

26. (क) आवेदक को शस्त्र चलाना आता है अथवा नही(पुलिस लाईन में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)....

(ख) उत्तराखण्ड राज्य रायफल एसोसियेशन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र.....

मैं उपरोक्त शस्त्र लाईसेन्स आवेदक द्वारा दी गयी सूचना /प्रमाण पत्रों से सन्तुष्ट हूं कि आवेदक के पास शस्त्र लाईसेन्स धारित करने के लिए यथेष्ठ कारण .....है।

आवेदक को एक एस0बी0बी0एल/डी0बी0बी0एल/एस0बी0एम0एल/एस0बी0एम0एल/एन0पी0बी/ रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है/नही की जा सकती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति जारी होने पर आवेदक द्वारा उसका कोई दुरुपयोग की सम्भावना है/नही है ।

हस्ताक्षर
जांचकर्ता का पद नाम व नियुक्त स्थान .....
जनपद देहरादून.....
नाम.....
पदनाम.....

थाना.....
थाना प्रभारी की सुस्पष्ट संस्तुति.....
क्षेत्राधिकारी की सुस्पष्ट संस्तुति.....
अपर पुलिस अधीक्षक की सुस्पष्ट संस्तुति.....

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा सर्किल के क्षेत्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। क्षेत्राधिकारी द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई से जॉच कराने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाती है,तत्पश्चात् सहमति/असहमति सम्बन्धी आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की जाती है।

इसी प्रकार सीमा विस्तार एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है । सीमा विस्तार एवं नवीनीकरण में निम्न अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं-

सीमा विस्तार हेतु आवेदक पत्रों की जॉच

1-आवेदक के शस्त्र लाइसेंस की छाया प्रति

2-आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र

3-आवेदक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने/न होने सम्बन्धी सूचना

4-आवेदक का शस्त्र/लाइसेंस थाने के अभिलेखों में दर्ज होने का क्रमांक

नवीनीकरण/अभिलेखों में दर्ज होने सम्बन्धी आवेदन

1-आवेदक के शस्त्र लाइसेंस की छाया प्रति

2-आवेदक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने/न होने सम्बन्धी सूचना

3-आवेदक का शस्त्र/लाइसेंस थाने के अभिलेखों में दर्ज होने का क्रमांक

उपरोक्त सभी आवेदन पत्र क्षेत्राधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के माध्यम से प्राप्त होकर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है।